सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन, 1943 (श०)

संख्या - 102 राँची, मंगलवार, 8 मार्च, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

27 अक्टूबर, 2021

विषय:- भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाहियों/जे०सी०ओ०/पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर Special Auxiliary Police के गठन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-108, दिनांक-07.06.2008 में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

संख्या-18/नौ०मु०/राँ-10006/2014-4069–विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-10/ए०पी०-106/2006-108, दिनांक 07.06.2008 द्वारा भारतीय सेना के सेवानिवृत सिपाहियों/जे०सी०ओ०/पदाधिकारियों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर Special Auxiliary Police (SAP) के गठन संबंधी नीति का निरूपण किया गया है। उक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4 (iv) में कर्त्तव्य पालन के क्रम में मृत्यु की परिस्थिति में राज्य के पुलिसकर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान देय है वह उन्हें भी देय होगा, परन्तु आश्रित को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा, का प्रावधान किया गया है ।

2. विभागीय संकल्प संख्या-3967, दिनांक 07.10.2009 के द्वारा उग्रवादी हिंसा में मृत अनुबंधकर्मियों के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर सिपाही/चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। परन्तु पूर्व से निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-108, दिनांक 07.06.2008 की कंडिका-4 (iv) के प्रावधान के कारण उग्रवादी/नक्सली हिंसा में अनुबंध के आधार पर कार्यरत Special Auxiliary Police (SAP) कर्मी के मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं मिल पा रही है ।

3. उग्रवादी/नक्सली हिंसा में मृत Special Auxiliary Police (SAP) कर्मियों के आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए अनुबंध कर्मियों के तरह ही आर्थिक बदहाली में जाने से बचाने हेतु सुयोग्य आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में दिनांक 22.06.2021 को मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक में मद् संख्या-2 में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4 (iv) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"कर्त्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी हिंसा में मृत्यु की परिस्थिति में राजय के पुलिसकर्मियों के आश्रितों को जो अनुग्रह अनुदान देय है, वह मृत SAP कर्मी केआश्रित (यथा प्राथमिकता के आधार पर पत्नी/पति/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्र की विधवा पत्नी/भाई/अविवाहित बहन/माता/पिता) को देय होगा, साथ ही उपरोक्त आश्रितों में से एक सुयोग्य आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर आरक्षी/चतुर्थवर्गीय पद पर सरकारी नौकरी अनुमान्य होगी ।"

4. स्वीकृत्यादेश संख्या-108, दिनांक 07.06.2008 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102 -- 50